राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 5225/2021

संजय कुमार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान पुलिस, जयपुर।
3. महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान पुलिस, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 12.10.2021
आदेश की दिनांक : 10.02.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने चाहा है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर विशेष पदोन्नति पद उप निरीक्षक की पदोन्नति प्रस्ताव को निरस्तीकरण आदेश को अनुचित मानते हुए अपास्त किया जावे। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को भी वर्ष 2017–18 में अग्रिम पद की विशेष पदोन्नति सहायक उप निरीक्षक से उप निरीक्षक के पद पर अन्य कार्मिकों की भांति पदोन्नति प्रदान करते हुए समस्त पारिणामिक परिलाभ दिए जाने के आदेश फरमाए जावें तथा विशेष पदोन्नति उप निरीक्षक के पद पर किए जाने के पश्चात् अपीलार्थी को उक्त पद की पी.सी.सी. प्रशिक्षण हेतु भेजे जाने के निर्देश दिए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 1998 में कांस्टेबल के पद पर हुई थी, जिसकी पालना में उसने दिनांक 16.03.1998 को कार्यग्रहण किया था। वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध आदेश दिनांक 16.02.2019 के द्वारा उसे हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। अपीलार्थी ए.टी.एस. में पदस्थापन के

दौरान उसके सहयोग से हिस्ट्रीशीटर भानूप्रताप को पुलिस कमाण्डो सुरक्षा में पेशी पर ले जाने के दौरान दूसरी गैंग द्वारा पुलिस वाहन पर फायरिंग कर गैंगस्टर भानूप्रताप एवं 2 पुलिस कमाण्डों की हत्या कर दी गई थी। उक्त मुलजिमानों को अपीलार्थी ने अपनी जान जोखिम में डाल कर रूपये 10000/– के ईनामी डकैतों को अपीलार्थी के सहयोग से कई दिनों तक आगरा में रहकर भानू प्रताप व दो पुलिस कमाण्डों के हत्यारों को दिनांक 01.02.2017 को आगरा से गिरफ्तार किया गया, जिसके कारण महानिदेशक पुलिस राजस्थान, जयपुर ने अपीलार्थी को आदेश दिनांक 09.08.2017 के आदेश के द्वारा वर्ष 2017–18 की रिक्तियों के विरूद्ध उत्कृष्ट व सराहनीय कार्य किए जाने के फलस्वरूप राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 28(अ) में प्रावधानों के अनुसार हैड कांस्टेबल की विशेष पदोन्नति हेतु नामांकित किया गया। परंतु अपीलार्थी को पी.सी.सी. में नहीं भेजा गया। उसके पश्चात् प्रत्यर्थी विभाग ने जिला अलवर में दिनांक 16.02.2019 को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वर्ष 2013–17 की रिक्तियों के विरूद्ध पुनर्विलोकन करने पर अपीलार्थी की नियमित पदोन्नति वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध हैड कांस्टेबल के पद पर की गई और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 28.09.2016 के द्वारा सहायक उप निरीक्षक के पद पर वर्ष 2016–17 की योग्यात्मक परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें अपीलार्थी उत्तीर्ण होने पर सहायक उप निरीक्षक के पद पर उक्त वर्ष में पदोन्नत किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 16.08.2016 के बिंदु संख्या 3 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार *''विशेष पदोन्नति आदेश दिनांक से पूर्व की रिक्तियों के आधार पर नियमित पदोन्नति हो जाने की स्थिति में विशेष पदोन्नति नियमित पदोन्नति के अग्रिम पद पर मानी जावे।''* आदेश दिनांक 04.04.2018 के आदेशों के तहत पुलिस अधीक्षक जिला अलवर के कार्यालय में पुनः प्रत्यर्थीगण को सहायक उप निरीक्षक से उप निरीक्षक के अग्रिम पद पर विशेष पदोन्नति हेतु दिनांक 22.04.2020 को पदोन्नति प्रस्ताव भिजवाया, जिसको प्रत्यर्थी विभाग ने अवैध व अनुचित रूप से एवं मनमाने ढंग से करीब डेढ वर्ष तक दिनांक 26.03.2021 को पदोन्नति समिति की बैठक में अपीलार्थी को निर्णय से अवगत कराये बिना निरस्त कर दिया गया, जिसकी सूचना अपीलार्थी को सूचना के अधिकार के तहत (आर.टी.आई.) दिनांक 20.09.2021 को दी गई।

उनका यह भी कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 16.08.2016 के बिंदु संख्या 3 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार तथा दिनांक 04.04.2018 के आदेश के तहत अग्रिम पद उप निरीक्षक के पद पर अपीलार्थी को पदोन्नति का प्रस्ताव जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर द्वारा भिजवाने के बावजूद निरस्त किया गया,

जबकि विभाग में ही कार्यरत लईक अहमद तत्कालीन हैड कांस्टेबल, ए.टी.एस. जयपुर को सहायक उप निरीक्षक से उप निरीक्षक के पद पर अग्रिम पद की पदोन्नति दी गई तथा अपीलार्थी को विशेष पदोन्नति के लाभ से वंचित किया गया। लईक अहमद व अपीलार्थी के तुलनात्मक चार्ट निम्न प्रकार है :–

क्र. सं.	**शीर्षक**	**संजय कुमार हैड कानि. हाल सहायक उपनिरीक्षक**	**श्री लईक अहमद हैड कानि. हाल उप निरीक्षक**
1.	प्रथम नियुक्ति दिनांक	16.03.1998	27.04.1993 जिला कोटा शहर
2.	विशेष पदोन्नति दिनांक	आदेश क्रमांक 3305 दिनांक 09.08.2017	आदेश क्रमांक 1158 दिनांक 07.03.2019
3.	वित्तीय वर्ष विशेष पदोन्नति हैड कानि. से एएसआई	2017–18	2018–19
4.	पदस्थापन स्थान विशेष पदोन्नति	एटीएस, जयपुर	एटीएस यूनिट कोटा
5.	वित्तीय वर्ष/दिनांक सहायक उप निरीक्षक पद की पदोन्नति पाठ्यक्रम में भिजवाने हेतु चयन सूची पर लिया गया	2013–14 डीओबी संख्या 347 दिनांक 16.02.2019	2016–17 डीओबी संख्या 289 दिनांक 06.03.2019
6.	बाद पीसीसी नियमित पदोन्नति दिनांक	आदेश क्रमांक 347 दिनांक 16.02.2019	आदेश क्रमांक 890 दिनांक 24.07.2019
7.	हैड से एएसआई पर की पीसीसी करने की दिनांक	02.12.2019 से 23.03.2020 तक	25.03.2019 से 12.07.2019
8.	विशेष पदोन्नति व नियमित पदोन्नति का अन्तराल	1 वर्ष	2 वर्ष
9.	अग्रिम पद उप निरीक्षक पद पर पदोन्नति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया	प्रस्ताव क्रमांक 1319 22.04.2020	मार्च 2020
10.	अग्रिम पद उपनिरीक्षक पद प्रदान की गई पदोन्नति आदेश/दिनांक	निरस्त दिनांक 26.03.2021	क्रमांक 860 दिनांक 30.07.2020 के द्वारा वर्ष 2019–20 में

उक्त चार्ट के अनुसार लईक अहमद को आदेश दिनांक 07.03.2020 के द्वारा वर्ष 2018–19 की रिक्तियों के विरूद्ध विशेष पदोन्नति हैड कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक के पद पर देने हेतु नामांकन किया गया था। उसके पश्चात् पी.सी.सी. में नहीं भेजा गया। विभाग ने बाद में लईक अहमद को नियमित पदोन्नति मार्च, 2019 में ही वर्ष 2016–17 की रिक्तियों के विरूद्ध नियमित पदोन्नति होने के कारण दिनांक 30.07.2020 को प्रत्यर्थी विभाग के परिपत्रों की पालना में सहायक उप निरीक्षक से अग्रिम पद उप निरीक्षक के पद पर विशेष पदोन्नति प्रदान की गई। नियमित पदोन्नति विशेष पदोन्नति वर्ष से पूर्व होने के कारण अग्रिम पद की पदोन्नति हेतु संशोधित प्रस्ताव पारित कर अग्रिम पद की पदोन्नति प्रदान की गई

जबकि अपीलार्थी को उक्त पदोन्नति से वंचित रखा गया। प्रत्यर्थी विभाग का यह कृत्य पक्षपातपूर्ण व मनमाना, अनुचित व अवैध है।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने बहस के दौरान अधिकरण का ध्यान निम्न प्रतिपादित सिद्धान्तों की ओर आकर्षित किया जो निम्न है :– माननीय उच्च न्यायालय ने एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 1086/2011 देरावर सिंह बनाम राजस्थान राज्य में दिनांक 02.07.2014 को अपीलार्थी के समान तथ्यों पर अपील स्वीकार करते हुए नियमित पदोन्नति के पश्चात् विशेष पदोन्नति समस्त परिलाभों सहित देने के आदेश पारित किए हैं तथा डी.बी. सिविल स्पेशल अपील संख्या 399/2005 मोहम्मद युनुस खान बनाम राजस्थान राज्य में अपीलार्थी के समान तथ्यों पर रिट याचिका को स्वीकार करते हुए नियमित पदोन्नति के पश्चात् विशेष पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी माना है। अपीलार्थी को भी वर्ष 2017–18 की रिक्तियों के विरूद्ध सहायक उप निरीक्षक के पद पर नियमित पदोन्नति होने के कारण महानिदेशक, पुलिस के आदेश दिनांक 16.08.2016 के बिंदु संख्या 3 के अनुसार अपीलार्थी अगले पद की उप निरीक्षक के पद पर विशेष पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलार्थी विशेष पदोन्नति पद उप निरीक्षक की पदोन्नति प्रस्ताव को निरस्तीकरण आदेश को अनुचित मानते हुए अपास्त किया जावे। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को भी वर्ष 2017–18 में अग्रिम पद की विशेष पदोन्नति सहायक उप निरीक्षक से उप निरीक्षक के पद पर अन्य कार्मिकों की भांति पदोन्नति प्रदान करते हुए समस्त पारिणामिक परिलाभ दिए जाने के आदेश फरमाए जावें तथा विशेष पदोन्नति उप निरीक्षक के पद पर किए जाने के पश्चात् अपीलार्थी को उक्त पद की पी.सी.सी. प्रशिक्षण हेतु भेजे जाने के निर्देश दिए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 16.03.1998 को कांस्टेबल पद पर हुई थी और नियमित पदोन्नति वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध हैड कांस्टेबल के पद पर हुई और सहायक उप निरीक्षक के पद पर योग्यात्मक परीक्षा के आधार पर वर्ष 2016–17 के विरूद्ध प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पदोन्नति प्रदान की गई। प्रत्यर्थी विभाग ने विशेष पदोन्नति की कमेटी की अनुशंषा के अनुसार निरस्त करते हुए आदेश पारित किए गए हैं। राज्य सरकार का अधिकार है कि वह किस व्यक्ति को विशेष कार्य के लिए नकद लाभ दे या पदोन्नति दे।

अपीलार्थी के संबंध में जो आलोच्य आदेश जारी किया गया है, वह नियमानुसार जारी किया गया आदेश है, जिसमें कोई दुर्भावना नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 16.03.1998 को कांस्टेबल पद पर हुई थी और नियमित पदोन्नति वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध हैड कांस्टेबल के पद पर हुई और सहायक उप निरीक्षक के पद पर योग्यात्मक परीक्षा के आधार पर वर्ष 2016–17 के विरूद्ध प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पदोन्नति प्रदान की गई। अपीलार्थी को विशेष कार्य करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1989 के नियम 28(अ) के अंतर्गत विशेष पदोन्नति दिए जाने हेतु प्रस्ताव भिजवाया गया था। जो पुरस्कार एवं पदोन्नति हेतु गठित कमेटी की अभिशंषा पर अपीलार्थी का नाम भेजा गया था और उन्हें प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 09.08.2017 (अनुलग्नक–2) के द्वारा पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम (पी.सी.सी.) के लिये विशेष नामाकंन किया गया। परंतु उन्हें पी.सी.सी. के लिये नहीं भेजा गया। अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त आदेश दिनांक 20.09.2021 (अनुलग्नक–1) के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी की नियमित पदोन्नति होने के कारण इसके प्रकरणों की पुनः विवेचना की गई जबकि अपीलार्थी की नियमित पदोन्नति विभाग द्वारा उनके रिक्ति वर्ष के विरूद्ध की गई। कार्यालय महानिदेशक, पुलिस राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 16.08.2016 में बिंदु संख्या 3 में यह स्पष्ट अंकित किया गया है कि *''विशेष पदोन्नति आदेश के उपरांत विशेष पदोन्नति आदेश दिनांक से पूर्व की रिक्तियों के आधार पर नियमित पदोन्नति हो जाने की स्थिति में विशेष पदोन्नति नियमित पदोन्नति के अग्रिम पद पर मानी जावे।''* अपीलार्थी की नियमित पदोन्नति वर्ष 2013–14 के विरूद्ध हैड कांस्टेबल के पद पर एवं वर्ष 2016–17 के विरूद्ध सहायक उप निरीक्षक के पद पर योग्यात्मक परीक्षा के आधार पर नियमित पदोन्नति प्रदान की गई, जबकि पुरस्कार एवं पदोन्नति हेतु गठित कमेटी की अभिशंषा पर अपीलार्थी की पदोन्नति रिक्ति वर्ष 2017–18 के विरूद्ध की गई है। प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से हम सहमत नहीं हैं कि अपीलार्थी श्री संजय कुमार जो तत्समय हैड कांस्टेबल के बतौर किए गए सराहनीय एवं उत्कृष्ट कार्य

करने पर सहायक उप निरीक्षक से अग्रिम पद उप निरीक्षक पुलिस के पद पर पदोन्नति के लिए रिवार्ड कमेटी के विचार में उपयुक्त नहीं पाए गए, हमारे विनम्र मत में अनुलग्नक–9 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रार्थी श्री लईक अहमद जो हैड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे, उनको विशेष पदोन्नति हेतु अग्रिम पद सहायक उप निरीक्षक पद के लिए प्रस्ताव भेजा गया, परंतु विभाग द्वारा उसे नियमित पदोन्नति के तहत सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नत कर पुरस्कार एवं पदोन्नति हेतु गठित कमेटी की अभिशंषा पर अग्रिम पद उप निरीक्षक के पद पर विशेष पदोन्नति प्रदान की गई। अपीलार्थी नियमित पदोन्नति उपरांत सहायक उप निरीक्षक से उप निरीक्षक के पद पर पुरस्कार एवं पदोन्नति हेतु गठित कमेटी की अभिशंषा के आधार पर राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 28(अ) के प्रावधानानुसार अग्रिम पद पर पदोन्नति पाने का अधिकारी है क्योंकि कार्यालय महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 09.08.2017 (अनुलग्नक–2) के द्वारा राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 28(अ) के अंतर्गत वर्ष 2017–18 की रिक्तियों के विरूद्ध अपीलार्थी का नाम अग्रिम पद के लिए चयन कर अनुमोदित किया गया। परंतु उसे पी.सी.सी. के लिए नहीं भेजा गया, जो न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा *एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 10186/2011 देरावर सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.07.2014 तथा डी.बी.सी.एस.ए. (रिट) संख्या 399/2005 मोहम्मद युनुस खान बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.01.2008 एवं डी.बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 959/2011 अनूप सिंह राठौड़ बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 11.04.2018* में सराहनीय एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस कार्मिकों को राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 28(अ) के अनुसार अग्रिम पदोन्नति देना सही एवं उचित माना है।

उक्त विधि एवं प्रावधानों के अनुसार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को विशेष पदोन्नति अग्रिम पद की नहीं दी गई जबकि नियमित पदोन्नति होने के पश्चात् नियमानुसार विशेष कार्यों के लिए जो पूर्व में विभाग द्वारा पुरस्कार एवं पदोन्नति हेतु गठित कमेटी की अभिशंषा के आधार पर विशेष पदोन्नति देने का निर्णय लिया गया था। इस प्रकार महानिदेशक पुलिस के आदेश दिनांक 16.08.2016 के विपरीत जाकर आलोच्य आदेश पारित किए गए हैं, जो अनुचित व अयुक्तियुक्त परिलक्षित होता है। अपीलार्थी भी उक्त कार्मिकों की भांति सराहनीय एवं उत्कृष्ट

जैसे विशेष कार्यों के लिए नियमित पदोन्नति के पश्चात् अग्रिम पद पर विशेष पदोन्नति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः हमारे विनम्र मत में अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती हैं तथा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.09.2021 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जाता है तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलार्थी को कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी आदेश दिनांक 16.08.2016 के प्रकाश में नियमित पदोन्नति के पश्चात् आगामी रिक्ति वर्ष में अग्रिम पद उप निरीक्षक के पद पर विशेष पदोन्नति समस्त पारिणामिक लाभों सहित देते हुए पदोन्नत किया जावे और आदेश की पालना इस आदेश के जारी होने की तिथि से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य